न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 45/2016 – आ0नि0

1 श्री भोजाराम पुत्र प्रताप गुर्जर निवासी नुवालिया तहसील आसीन्द

बनाम

1. श्री काना पुत्र हीरा गुर्जर निवासी नुवालिया तहसील आसीन्द
2. श्रीमती प्रेमी पत्नी काना गुर्जर निवासी नुवालिया तहसील आसीन्द
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थी

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970

उपस्थित –

1. श्री दूधाराम कुमावत, अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री रणवीर सिंह चुण्डावत अधिवक्ता – विपक्षी सं0 01 व 02 की ओर से
3. राजकीय अधिवक्ता – विपक्षी सं0 3 की ओर से

निर्णय

दिनांक 06.06.2018

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत विपक्षीगण के विरूद्ध दिनांक 29.07.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम नुवालिया पटवार हल्का जालरिया तहसील आसीन्द में स्थित आराजी नम्बर 660 मे से रकबा 1.00 हैक्ट. भूमि का दिनांक 21.12.2004 को प्रशासन गांवों के संग अभियान में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विपक्षी सं. 01 एवं 02 को बमुकाम जालरिया में गैर कानूनी तरीके से आवंटन कर दिया गया, जो अवैध होकर निरस्तनीय हैं। आवंटन किये जाने से पहले कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गयी। पटवारी हल्का द्वारा विपक्षीगण को किये गये आवंटन बाबत उक्त भूमि के कब्जे संबंधी किसी प्रकार की जांच नहीं की गयी। आराजी नम्बर 660 का रकबा जो कि विपक्षीगण को आवंटन किया गया, जिस पर प्रार्थी का सन् 1998 संवत् 2055 से 18–20 साल से पुराना कब्जा चला आ रहा हैं, जिसके बाबत तहसीलदार आसीन्द द्वारा धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही अमल में लायी जाती रही है और प्रार्थी का लगातार कब्जा होने बाबत् खसरा परिवर्तित निर्धारण पी – 14 की नकलों से रिकार्डेड रूप से साबित है। विपक्षीगण ने आवंटनशुदा भूमि बाबत किसी प्रकार से आवंटन नियमों की पालना नही की, क्योंकि आवंटित भूमि पर विपक्षीगण का कोई कब्जा नही होने से आवंटन के प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भूमि की काश्त करनी होती है तथा दूसरे वर्ष में सम्पूर्ण भूमि पर काश्त करनी थी जो नही की। इस कारण आवंटित भूमि पर विपक्षीगण का कोई कब्जा नही होने व बिना कब्जे काश्त के उक्त आवंटन निरस्त होने

लायक हैं। विपक्षीगण भूमिहीन कृषक नहीं है। विपक्षीगण का मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं होने व फसल काश्त नही करने के कारण ही उक्त भूमि गैर खातेदारी के रूप में ही विपक्षीगण के नाम पर दर्ज है। अतः प्रार्थना हैं कि यह प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी सं. 01 व 02 को दिनांक 21.12.2004 को ग्राम नुवालिया पटवार हल्का जालरिया तहसील आसीन्द की आराजी नम्बर 660 में से 1.00 हैक्ट. भूमि जिसके बाद आवंटन नये नम्बर 1774/660 है का किया गया आवंटन निरस्त कराया जाकर उक्त भूमि को प्रार्थी के नाम नियमन करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दिनांक 04.08.2016 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया तथा विपक्षीगण को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किए गए तथा भू–आवंटन संबंधी रेकार्ड़ तलब किया गया।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई । प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि ग्राम नुवालिया पटवार हल्का जालरिया तहसील आसीन्द में स्थित आराजी नम्बर 660 मे से रकबा 1.00 हैक्ट. भूमि का दिनांक 21.12.2004 को प्रशासन गांवों के संग अभियान में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विपक्षी सं. 01 एवं 02 को बमुकाम जालरिया में गैर कानूनी तरीके से आवंटन कर दिया गया, जो अवैध होकर निरस्तनीय हैं। आवंटन किये जाने से पहले कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गयी। पटवारी हल्का द्वारा विपक्षीगण को किये गये आवंटन बाबत उक्त भूमि के कब्जे संबंधी किसी प्रकार की जांच नहीं की गयी। आराजी नम्बर 660 का रकबा जो कि विपक्षीगण को आवंटन किया गया, जिस पर प्रार्थी का सन् 1998 संवत् 2055 से 18–20 साल से पुराना कब्जा चला आ रहा हैं, जिसके बाबत तहसीलदार आसीन्द द्वारा धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही अमल में लायी जाती रही है और प्रार्थी का लगातार कब्जा होने बाबत् खसरा परिवर्तित निर्धारण पी – 14 की नकलों से रिकार्डेड रूप से साबित है। विपक्षीगण ने आवंटनशुदा भूमि बाबत किसी प्रकार से आवंटन नियमों की पालना नही की, क्योंकि आवंटित भूमि पर विपक्षीगण का कोई कब्जा नही होने से आवंटन के प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भूमि की काश्त करनी होती है तथा दूसरे वर्ष में सम्पूर्ण भूमि पर काश्त करनी थी जो नही की। इस कारण आवंटित भूमि पर विपक्षीगण का कोई कब्जा नही होने व बिना कब्जे काश्त के उक्त आवंटन निरस्त होने लायक हैं। विपक्षीगण भूमिहीन कृषक नहीं है। विपक्षीगण का मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं होने व फसल काश्त नही करने के कारण ही उक्त भूमि गैर खातेदारी के रूप में ही विपक्षीगण के नाम पर दर्ज है। प्रार्थी को उक्त आवंटन की जानकारी नहीं थी। दिनांक 22.06.2016 को विपक्षीगण द्वारा मौके पर आकर प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी दी व अपने नाम पर आवंटन कराने की धमकी दी। प्रार्थना हैं कि यह प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी सं. 01 व 02 को दिनांक 21.12.2004 को ग्राम नुवालिया पटवार हल्का जालरिया तहसील आसीन्द की आराजी नम्बर 660 में से 1.00 हैक्ट. भूमि जिसके बाद आवंटन नये नम्बर 1774/660 है का किया गया आवंटन निरस्त कराया जाकर उक्त भूमि को प्रार्थी के नाम नियमन करने का आदेश प्रदान करावें।

विपक्षी अधिवक्ता ने बहस में बताया कि आवंटन कमेटी द्वारा नियमानुसार आवंटन के नियमों की पालना करते हुये विधि सम्मत आवंटन किया हैं, जो सही है। ग्राम नुवालिया पटवार हल्का जालरिया तहसील आसीन्द में स्थित आराजी नम्बर 660 में से रकबा

1.00 हैक्ट. भूमि का आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विपक्षी सं. 01 व 02 को भूमिहीन काश्तकार होने व आवंटन के विधिक पात्र होने से वैध तरीके से दिनांक 21.12.2004 को आवंटन कमेटी द्वारा नियमों की पालना करते हुए कब्जे की जाँच पड़ताल कर उक्त भूमि आवंटित की गयी। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कभी कब्जा नही रहा है। उक्त भूमि पर आवंटन से पूर्व ही विपक्षी सं. 01 व 02 का निरन्तर कब्जा चला आ रहा हैं तथा वर्तमान में भी विपक्षी सं. 01 व 02 का ही कब्जा है तथा वे ही उक्त आराजी पर वर्तमान में काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। विपक्षी सं. 01 व 02 ने आवंटन की समस्त शर्तों का समय पर पालन किया तथा आवंटन की किसी शर्त की कोई अवहेलना व अवज्ञा नही की है। विपक्षी सं. 01 व 02 भूमिहीन काश्तकार व आवंटन के वैध पात्र रहे है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत होने व पोषणीय नही होने से निरस्त होने योग्य हैं। उक्त आराजी विपक्षीगण को वर्ष 2004 में आवंटित की गयी जिसकी जानकारी प्रार्थी को आरम्भ से ही रही है। प्रार्थी ने करीब 11 वर्ष पश्चात् यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो बैरून मियाद होने से कानूनन चलने योग्य नही होने से निरस्त होने योग्य हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

उपभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया। ग्राम नुवालिया पटवार हल्का जालरिया तहसील आसीन्द के आ.नं. 660 रकबा 16.48 हैक्ट. भूमि में से रकबा 1.00 हैक्ट. भूमि दिनांक 21.12.2004 को श्री काना पुत्र हीरा गुर्जर एवं श्रीमती प्रेमी पत्नी काना गुर्जर निवासी नुवालिया को आवंटन की गयी। आवंटन से पूर्व ग्राम नुवालिया के आराजी नं. 660 रकबा 16.48 हैक्ट. भूमि की उद्घोषणा उपखण्ड अधिकारी आसीन्द द्वारा करवायी गयी। उद्घोषणा के पश्चात् प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004 के अंतर्गत भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा मुकाम जालरिया पर मजमे आम में आवंटन की कार्यवाही की गयी। आवंटी ने विधिवत् रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस प्रार्थना पर पटवारी हल्का जालरिया एवं गिरदावर हल्का ने 14 बिन्दुओं पर रिपोर्ट अंकित की। जांच रिपोर्ट के आधार पर आवंटी के भूमिहीन एवं सद्भावी काश्तकार होने से आवंटन किया गया। आवंटन होने के पश्चात् दिनांक 30.12.2004 को पटवारी हल्का द्वारा आवंटी को मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया। कब्जे दिये जाने की ताहिद गिरदावर हल्का दौलतगढ द्वारा की गयी है। आवंटन की सम्पूर्ण कार्यवाही होने के पश्चात् आवंटी काना पिता हीरा गुर्जर एवं प्रेमी पत्नी काना गुर्जर के नाम पर नामान्तरकरण सं. 200 से दिनांक 14.01.2005 को गैर खातेदारी मे दर्ज की गयी। आवंटी के नाम पर कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन का आदेश प्रभारी अधिकारी प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004 तहसील क्षैत्र आसीन्द द्वारा जारी किया गया। खसरा गिरदावरी संवत् 2064 से 2067, 2068 से आवंटी का निरन्तर कब्जा काश्त अंकित है। प्रार्थी भोजाराम पिता प्रताप गुर्जर निवासी नुवालिया ने उक्त आंवटित भूमि पर अपना कब्जा होना प्रार्थना में बताया है, जबकि कब्जे के संबंध में धारा 91 की कार्यवाही की प्रमाणित प्रति एवं खसरा गिरदावरी की प्रति पेश नही की है।

राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 आवंटन की शर्ते –

1. आवंटी को काश्तकारी अधिनियम के अधीन गैर खातेदार काश्तकार के सभी अधिकार होगें ।

1. क – ऐसे मामले में जहां भूमि का आवंटन किसी विवाहित कृषक को किया जाये तो आवंटन पति एवं पत्नी के संयुक्त नाम में किया जायेगा तथा ऐसे मामले में संयुक्त आंवटी के रूप में समझे जायेगें ।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

2. लगान ,भूमि पर लागू स्वीकृत लगान दर से अथवा यदि आवेदित एवं आवंटित भूमि लगान के लिये लगान का निर्धारण नहीं हुआ हैं तो ग्राम में बारानी भूमि की निम्नतम श्रेणी पर लागू दर से और ग्राम की चाही या नहरी सिचिंत भूमियों के लिये यथास्थिति चाही या नहरी दर से , आवंटन के प्रथम वर्ष से देय होगा ।

3. आवंटी को भूमि काश्त के अधीन लानी होगी तथा वह उसका समुचित उपयोग करेगा ।

4. यदि आवंटन कपट अथवा मिथ्याव्यपदेशन के द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्व किया गया हो या यदि आवंटी ने आवंटन शर्तों में से किसी भी शर्त को भंग किया हो तो उपखण्ड अधिकारी द्वारा या तहसीलदार द्वारा किये गये किसी भी आवंटन को या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पत्र पर रद्द करने की शक्ति कलक्टर को होगी ।

प्रार्थी भोजाराम पुत्र प्रतापराम गुर्जर ने अपने दस्तावेजी साक्ष्य में कही पर भी यह अंकित नही किया कि उक्त आराजी नं. 660 क्षैत्रफल 16.48 हैक्ट. के किस भाग पर प्रार्थी का कब्जा है ? एवं प्रार्थी के उसी कब्जे वाले भाग पर ही आवंटी को 1.00 हैक्ट. भूमि आवंटित की गयी यह भी प्रमाणित नही होता है। आराजी नं. 660 में भोजाराम पिता प्रताप गुर्जर के विरूद्व संवत् 2055, 2056, 2057, 2059 में नायब तहसीलदार आसीन्द द्वारा अतिक्रमण की कार्यवाही करते हुये प्रकरण सं. 745/98 , 52/2000, 319/2002 में बेदखली एवं शास्ति के आदेश पारित किये है। इसके पश्चात् ही प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004 में उक्त बिलानाम आराजी 660 रकबा 16.48 हैक्ट. में से आंवटी को 1.00 हैक्ट. भूमि आवंटित की गयी। खसरा गिरदावरी संवत् 2064 से 2067, 2068 से आवंटी का निरन्तर कब्जा काश्त अंकित है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के अंतर्गत स्वीकार योग्य नहीं ठहरता हैं । अतएव–

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 का खारिज किया जाता है एवं विपक्षी सं. 01 व 02 के नाम ग्राम नुवालिया पटवार हल्का जालरिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा के आराजी नं0 660 रकबा 1.00 हैक्ट. भूमि पर किये गये आवंटन को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार आसीन्द को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

06/06/18

(एल.आर.गुगरवाल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा